

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1537 / 2020 दिनांक : 19.08.2020

श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ0681), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर को दिनांक 20.07.2020 से 24.07.2020 तक 05 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) दिनांक 19.07.2020 एवं 25.07.2020 से 26.07.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती अग्रवाल की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
18/08/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/50/2011/3446

दिनांक : 19.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 3486 दिनांक 31.07.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अजन्ता अग्रवाल (RJ0681), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भरतपुर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

19/8/20
सहायक रजिस्ट्रार